15.10 hrs

Title: Discussion on the Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2001. (Bill passed)

MR. SPEAKER: The House will now take up item No.12 − Warehousing Corporations (Amendment) Bill. The time allotted for this Bill is two hours.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजिनक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

"कि भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962, में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए। "

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Warehousing Corporations Act, 1962, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

वैद्य विणु दत्त शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, एफ.सी.आई. का निर्माण 1962 के एक ऐक्ट के तहत हुआ और उसके 34 भंडारण गृहों का निर्माण देश के विभिन्न भागों में हुआ। इनकी आवश्यकता इसलिए थी कि जो खेतिहर है, उसके हितों की सुरक्षा की जाए और उसकी लेबर और अन्न पैदा करने में जो धन खर्च होता है, उसके अनुसार, पैदावार के मूल्य का निर्धारण करके, समर्थन मूल्य उसको दिया जाए।

15.12 hrs. (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

खेतिहर को मंडी के दलालों से और मार्केट फोर्सेज़ जो पैसा खोजती हैं, उनसे उनको सुरक्षित किया जाए। इस तौर पर एफ.सी.आई. एक गार्जियन के तौर पर काम करती रही। दूसरा उद्देश्य उसका यह था कि जब किसान आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाता है तो राट्रहित में उसका उपयुक्त भंडारण किया जाए, उसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी क्वालिटी का निर्धारण किया जाए और उचित मूल्य पर प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाया जाए। इसी तरह से भंडारण इतनी मात्रा में हो और इतना बफर स्टॉक रखा जाए ताकि आपातकाल में कभी भी समाज और देश के हित के लिए उसका उपयोग किया जा सके। इस प्रकार चतुर्दिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एफ.सी.आई. का निर्माण हुआ। किन्तु समय बीतने के साथ-साथ जो इसका लक्ष्य था, उससे गिरते हुए हम इसको देखते रहे और हर क्षेत्र में हमें हानि हुई। किसानों को भी उचित समर्थन मूल्य नहीं मिला। मार्केट में भिन्न-भिन्न प्रांतों में अन्न नहीं खरीदा गया - पैसा नहीं था इसलिए नहीं खरीदा, या भंडारण के लिए स्थान नहीं था इसलिए नहीं खरीदा और किसानों को अनाज दलालों को बेचना पड़ा और उनको कम मूल्य पर वह अनाज देना पड़ा। किसानों को इससे हानि हुई। इस तरह से सरकार की गलती से, किसानों को जो लाभ होना चाहिए था उसके बजाय उनको हानि हुई। दूसरी जो हानि हुई, वह क्वालिटी में हुई। क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो व्यवस्था हमने की थी सरकारी खरीद में, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे मुलाज़िम अन्न की क्वालिटी को नज़रंदाज़ करके भी अन्न की खरीद-फरोख्त करते रहे।

दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि अन्न खरीद लिया गया और जितना खरीदा गया, उस सारे का वितरण ठीक से नहीं हो पाया क्योंकि हमने जो वितरण प्रणाली तय की थी, वह डिफैक्टिव थी। उसका 90 प्रतिशत उपयोग होता रहा लेकिन 10 प्रतिशत जो सुरक्षित भंडार में रहा, वह भी समय बीतने के साथ-साथ सड़ता रहा जिससे देश और राट्र को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। इसी तरह इससे और भी हानियां हुईं क्योंकि जो बफर स्टॉक हमने निर्माण करना था, जो बफर स्टॉक हमारे पास देश के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, वह भी हमारे करप्शन का अड्डा बन गया। उसमें से अनाज बिकता रहा, खरीदार को बढ़िया अनाज की बजाए घटिया अनाज मिलता रहा और मंडियों में अच्छा गेहूं जाता रहा। इसके खिलाफ चर्चा होती रही। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि लगभग पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का खर्च अन्न भंडारण पर आता रहा। हम जो अन्न खरीदते रहे, उसके ट्रांसपोर्टेशन पर हमें 500 करोड़ रुपये का लॉस होता रहा। इसी तरह हमारी वितरण प्रणाली या भंडारण के लिए दो लाख के लगभग सुरक्षित मुलाजिम थे। उनको 850 करोड़ रुपये से ऊपर तनख्वाह देनी पड़ती रही। इस कारण जो अन्न हम इकट्ठा करते रहे और उससे देश को जो लाभ होना चाहिए था, उसके बजाए हानि का सामना करना पड़ता रहा।

आज यह हालत है कि एफ.सी.आई. पिछले कुछ सालों से किसी तरह से, किसी क्षेत्र में भी, देश और समाज को हानि पहुंचाने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। सौभाग्य से आज जिनके जिम्मे अन्न का महकमा है, हमारे खाद्य मंत्री के हाथ में इसका ऐडमिनिस्ट्रेशन आया है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे नि वेदन करता हूं कि जो सारी त्रुटियां हैं, उनसे कैसे अन्न को बचाया जा सके जिससे देश को लाभ हो सके, उस दृटि से अन्न को सुरक्षित किया जाए। हमारे पास इतना भंडारण नहीं है कि देश में जितनी उपज होती है, उसे सुरक्षित रख सकें। उसका नतीजा यह होता है कि हम मंडियों से जो अन्न खरीदते हैं, वह बाहर पड़ा रहता है। उसे सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाया नहीं जा सकता जिससे बहुत बर्बादी होती है। इससे बचने के लिए भंडारण के नए-नए साधन खड़े करने चाहिए। बजाए इसके कि बड़े-बड़े भंडागारण बनाए जाएं, क्यों न सारी जगहों पर पैदावार करने वाले किसानों की शिरकत इस काम में हो और 10,20,50 गांवों के लोगों को मिला कर उनकी उपज को इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग भंडारण बनाए जाएं ताकि अन्न सड़े नहीं, उसे चूहे न खाएं या वह बरसात में न पड़ा रहे। इस तरह उनकी सुरक्षा के लिए गांव की कमेटी बना कर भाण्डागारण की देख-रेख की जिम्मेदारी उनके ऊपर दी जानी चाहिए। यह भी सकता है कि सरकार उनको इनसैनटिव दे, पैसा दे और वे लोग भी अपने पास से कुछ पैसा मिलाएं और भाण्डागारण निर्माण करें।

इस स्थिति में सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ भी कुछ कम पड़ेगा और जब लोगों पर देख-रेख की जिम्मेदारी होगी तो वे बेहतर तरीके से अनाज को सुरक्षित रख पाएंगे, इसलिए मेरा सुझाव है कि छोटे-छोटे भंडार बनाये जायें। दूसरी मेरी प्रार्थना यह है कि यों तो मंत्री जी ने बहुत से कदम उठाये हैं, जैसे हर प्रान्त में जहां-जहां भी फूड कारपोरेशन है, उसमें वहां के स्थानीय मैम्बर पार्लियामेंट और कुछ प्रतिठित लोगों को मिलाकर उन भंडारों की व्यवस्था करने के लिए और अनाज के वितरण के लिए सुविधा हो और ठीक प्रकार से वितरण हो सके, इस दृटि से उन्होंने कमेटियां बनाई हैं। मैं समझता हूं कि यह एक रिवोल्यूशनरी काम है, इससे बहुत सा अन्न सड़ने से बचेगा, अन्न सुरक्षित रहेगा और वितरण में भी सुविधा होगी। इस दृटि से उन्होंने यह एक कदम उठाया है।

हम यह समझते हैं कि वितरण प्रणाली को भी चुस्त-दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके लिए इतनी ज्यादा भर्ती हो गई है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही हमें बहुत बड़ा खर्च सहन करना पड़ता है। पिछले सालों में शायद इन्होंने 24 हजार सात सौ कुछ करोड़ रुपये की सब्सिडा इसके लिए दी है। इतना पैसा ये एफ.सी.आई. के भंडारण और वितरण पर खर्च करते हैं, इसमें बचत की जानी चाहिए। इतनी बड़ी रकम सब्सिडी की केन्द्र को खर्च करनी पड़ती है। इस रकम को बचाया जाये और वितरण प्रणाली कुछ ठीक की जाये। मंत्री जी ने हमारी वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिए एक और आज्ञा की है कि जहां-जहां हमारे सेल्स डिपो हैं, वहां अन्न बहुतायत में है। एफ.सी.आई. ने केन्द्र की आज्ञा से अब जो बफर स्टाक हमारे पास है, जो एक्स्ट्रा सरप्लस स्टाक है, उसको बिलो पावर्टी लाइन के लोगों को देने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है और कहा है कि इनको अन्न दिया जाये और कुछ अन्न अन्त्योदय स्कीम के अन्दर बिना कीमत के भी गरीब लोगों को देने की व्य

वस्था की है। लेकिन मेरा सुझाव है कि जो अन्न आप भेजें, वह उनको मिले, वह गोदाम में न चला जाता रहे, उससे बचने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है कि डिपो पर लिस्ट लगाई जाये कि इस क्षेत्र में रहने वाले बिलो पावर्टी लाइन के कितने लोग हैं और अन्त्योदय योजना के तहत लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक हमने सप्लाई किया है, कितना अन्न अन्त्योदय योजना के तहत सप्लाई करने के लिए दिया है, इसका रिकार्ड रख लिया जाये तो मैं समझता हूं कि गरीब आदमी को भी सुविधा से और ठीक मात्रा में अन्न मिलेगा। अन्न के बिना या भोजन के अभाव में कई स्थानों से शिकायत आती है कि लोग मर रहे हैं, इसके बाद वह भी देखने-सुनने में नहीं आयेगा। इस दृटि से यह व्यवस्था की जाये और जो बोझ है उसको कम किया जाये। आज परफोर्मेंस में बहुत कमी आ गई है, इतनी लेबर और लोग भर्ती कर लिये गये हैं कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, उसका हिसाब लगायें, हमारे यहां से कितनी गाड़ियां अन्न लाने, ले जाने में जाती है, कितनी बोरियां भंडार के अन्दर आती हैं और कितनी भंडार से बाहर ले जाई जाती हैं, इस सब का हिसाब करने से पता चलता है कि एक आदमी एक दिन में सिर्फ दस बैग उठाता है। इसका मतलब परफोरमेंस कम है, काम करने की नीयत में कमी है, इससे भी देश को हानि होती है और इसका बोझ बिलावजह पड़ता है। जो तनख्वाह उनको दी जाती है, उनको बिना वजह दी जाती है, यह सारा बोझ कम किया जाये तो मैं समझता हूं कि सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारा जो एफ.सी.आई. और वेयरहाउसेज कारपोरेशन है, इसके काम में सुधार होगा।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सारी व्यवस्थाएं करें, जिससे इनएफिशेंसी दूर हो, करप्शन दूर हो और आर्थिक हानि भी दूर हो। जो अनाज पड़ा-पड़ा सड़ता रहता है, लोगों को खाने को नहीं मिलता, इससे भी बचा जा सकेगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को समय पर और ठीक मात्रा में अन्न मिल सके, इन सब बातों की ओर यह विधेयक एक कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय के लिए उन्होंने अभी से व्यवस्था करने का प्रावधान किया है।

SHRI ADHIR CHOWDHARY (BERHAMPORE, WEST BENGAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Minister, Shri Shanta Kumar, has moved the Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2001 with an aim of amending the Warehousing Corporations Act, 1962.

Since the birth of our civilisation, storage has become an integral part of our commercial and agricultural activities. People used to keep in store the agricultural produce so that they could deal with any adverse situation, any climatic distortion or any geological upheavals. At the advent of the Industrial Revolution, the entire scenario, as far as storage is concerned, had undergone a sea change. Keeping this in view, in 1928, the Royal Commission of Agriculture first conceived warehousing in India. In 1949, the Rural Banking Inquiry Committee has agreed of expanding rural banking. In 1954, the Rural Credit Survey Committee had proposed warehousing.

In India, the Central Warehousing Corporation was set up in 1957 under the Agricultural Produce Development and Warehousing Corporations Act, 1956. In this Bill, again, it is going to be amended. The Central Warehousing Corporation is an agent of the Government for the purposes of sale, storage, purchase, distribution of agricultural produce, manure, fertilisers, seeds, agricultural implements and notified commodities. The Government of India has engaged three agencies, namely, FCI, CWC and SWC in view of warehousing and building storage etc. It is a well-known fact that now, under the impact of liberalisation and globalisation, the trade activity in the entire country has been increased. So, the CWC with its old, dilapidated structure cannot compete with the burgeoning trade and commercial activities. Therefore, it needs a few more adrenalins to stimulate its activities.

Sir, CWC has been categorised as a service industry. It is well-known that in the present Indian economy, the service industry not only plays a significant role but also is a major contributor to our GDP. CWC plays an important role in the chain of marketing. It serves not only as a time and place utility but also adds place value to the goods. Therefore, it would not be an exaggeration to say that the Central Warehousing Corporation needs a face-lift to confront the emerging need of storing and transportation facilities that are mostly held by the cartels in the private sector.

Sir, the CWC now holds 456 warehouses in India with a capacity of 75.69 lakh MTs. The custom bonded warehouses numbering is 108 with a capacity of 7.40 lakh MTs. The CFS and ICDS, both combined together, has 26 with a capacity of 6.34 lakh MTs and temperature controlled warehouses are only four. But the fact is that all the warehouses combined together are not able to utilise its capacity to its optimum level. The utilisation of its storage capacity is only 62 lakhs MT. It is to be noted that in most of the prominent cities, like Ahmedabad, Guwahati and Jaipur, the capacity is under-utilised.

Sir, the income ratio of the CWC has declined sharply from Rs. 84.95 crore in 1996-97 to Rs. 56.28 crore in the year 2001. I do not know the reasons as to why there has been a decline in the income of the warehouses. India is suffering from a woefully low and inadequate storage facilities. The hon. Minister is well aware that now foodgrains worth crores of rupees are rotting in the godowns of the FCI. It is regrettable to note that an equivalent amount of total foodgrains of Australia and New Zealand, combined together, is wasted in India.

Sir, therefore, I would like to know from the hon. Minister the target fixed in the Ninth Plan, and the percentage achieved. Moreover, I would also like to know the target that has been fixed in the Tenth Five Year Plan.

Sir, the FCI owned godown has a capacity of 54.45 lakh MTs. The capacity of the warehouses hired by FCI has a capacity of 14.76 lakh tonnes and the total capacity in FCI is 291.11 lakh MTs.

CWC - owned 55.53 lakh metric tonnes; hired 24.12 lakh metric tonnes; and the total is 79.65 lakh metric tonnes.

SWC - owned 111.3 lakh metric tonnes, hired 27.34 lakh metric tonnes; and the total is 138.73 lakh metric tonnes.

With the instrument of this amendment the Government would enable CWC to put its nominee on the board of SWC because CWC holds 50 per cent of the equity capital of SWC. But, the Minister should be aware thsat nowadays the entire storing has been containerised and automated. The most lucrative and profitable segment of CWC was custom-bonded warehouses. A great deal of custom-bonded warehouses have been eaten up by the private sector. The CWC, which had a predominant position once is no longer a monopoly. The days of monopolies are gone. CWC has to face stiff competition in the present scenario. May I suggest the Government that whenever a nominee is put on the Board of SWC, a member from the bank, from customs, from depositors should be inducted so that the Board's affairs can be professionalised.

My State West Bengal is located in a geographically strategic place. West Bengal is surrounded by Bangladesh, Bhutan and Nepal. Both seaport and airport are available in my State. West Bengal can easily be converted into a hub of warehousing activity because Nepal and Bhutan are landlocked countries and the major part of their cargo is transported through West Bengal. Therefore, I urge upon the Government to lay special emphasis on the State of West Bengal considering the strategic importance of that State.

Central Warehousing Corporation has quite often got entangled in various kinds of financial bunglings.

Sir, very often, it is getting prominence due to corruption prevailing there. The contractors and the bidders are looting this concern in connivance with the higher functionaries of the CWC. That is why even after being classified as the *mini ratna,* the CWC has lost its past glory.

Sir, I do not object to the amendments to the Bill. I want this Corporation to flourish. In this regard, the hon. Minister may go with the joint venture even abroad also. But before going there, he should take cognizance of what is happening in this country.

Sir, a warehouse can help a lot to the farmers of rural India. The farmers can deposit their stocks in it. The farmers, especially the individual farmers, do not have any access to the market. They do not have bargaining position. So, the CWC being an agent of owners of the stock can sell their produce to the market and the farmer can be benefited from it by earning more profits. The poor farmers can take loan from the banks by pledging stock..

So, the Central Warehousing Corporation with its 16 associated Warehousing Corporations can play a very vital role specially in the rural economy of our country.

Sir, the Central Warehousing Corporation plays an important role in the chain of marketing. I would again request the hon. Minister that in order to make it profitable, he should build a chain of cold storages so that the poor farmers could keep their perishable materials including fruits, vegetables and flowers into the godowns and also be able to earn more profits.

Sir, substantially, I do not find any argument to oppose this Bill tooth and nail. The CWC can play an important role. It has to be materialised. It has to be implemented. It has to be made for the benefit of the poor farmers in India.

With these few words and suggestions, I conclude. Thank you.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU (TENALI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Bill amending the Warehousing Corporations Act of 1962 moved by the hon. Minister.

The Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2001 is facilitating the Central Warehousing Corporations to diversify and widen its activities further to strengthen the service sector, particularly the agriculture sector, where marketing, storage and handling have become weak points over several decades. The Central Warehousing Corporations Act of 1962 has provided leverage for contributing to the State Warehousing Corporations and also to promote the activities of State Warehousing Corporations, and jointly provide the services to the agriculture sector.

Primarily, it was the Agriculture Produce Development and Warehousing Corporations Act of 1956 and later on, it was made as the Central Warehousing Corporations Act of 1962. The original philosophy of that Act had twin objectives, that is, to provide scientific storage for agricultural produce and also to provide market finances. Mostly, whatever finances we have been thinking about in agriculture sector traditionally, they have been only to provide production credit from the financial institutions, and provision of market finances was more or less neglected. At that point of time, instead of making the farmer to go in for distress sales, a mechanism had been worked out and developed by which he could be given an opportunity to store his produce, that too in scientific structures, and then to obtain a loan from financial institutions by pledging the warehousing receipts.

These warehouses have come up at three different stages, namely, at the primary level, the secondary level and the tertiary level. It was just to facilitate the export at the ports or even to store the imports from various countries.

Normally the primary warehousing sector, which is mostly at the primary marketing centres, more room has to be given only for the producers. Gradually, if you see the statistics − I do not know whether the latest analysis is available with the Ministry or not − you would find that even at the primary stage, most of the traders have been utilised. ...(*Interruptions*)

Sir, I am the only speaker from my Party.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have only six minutes to your credit. You have consumed four minutes so far and left with two minutes only. It is only a caution bell.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : If the time for my Party is only six minutes, then I have to simply say that I support this Bill and sit down. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I cannot help it. It is decided by the BAC and I am only enforcing the decision taken at the BAC meeting. That is all.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU: Anyway, I will take a few minutes and then conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, please.

PROF. UMMAREDDY VENKATESWARLU : This particular aspect has to be taken into consideration, that is, whether the primary producer is utilising this or not.

Secondly, Sir, most of the financial institutions are causing abnormal delays in giving the finances. A tremendous amount of coordination is required between the Central Warehousing Corporation and the Financial Corporation. This type of coordination is to be developed further. Most of the private agencies have also come into the warehousing sector. If we just look at the details that are provided here, there are two types of warehouses which they have been handling; Owned Capacity and the Hired Capacity. In the Owned Capacity godowns the utilisation is 87 per cent and the utilisation part in the Hired Capacity godowns is only 77.28 or 78 per cent. So, there is a tremendous gap between the two. Even in the Hired Capacity Godowns, there is a necessity to improve the utilisation capacity so that the overall handling charges go down.

Sir, there are a number of complaints. For want of time, I will just be concluding. A number of complaints are being seen in the media that the bidders often have been alleging irregularities in the tendering process for appointment of agents for handling and transporting of the produce of the Central Warehousing Corporation. Sir, this is one major area which needs to be toned up. Better services are to be rendered to the people engaged in the agricultural sector. Unless this service sector is further improved, the very purpose for which this warehousing corporation was started will be defeated. On behalf of my Party, I support all the proposed amendments to this Bill..

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक 2001 के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जो अन्न रखा गया है, वह सड़ रहा है। आए दिन रोज अखबारों में निकलता है कि कहीं रेलवे स्टेशनों पर, कहीं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर, कहीं खुले आसमान के नीचे हजारों टन गेहूं और चावल लगातार सड़ रहा है। बहुत सा अन्न जो खरीदा गया, वह भी सुरक्षित नहीं है। इस बारे में माननीय मंत्री जी का बयान भी आया है। भारत सरकार और भारतीय खाद्य निगम के अनेकों वैज्ञानिक हैं। अन्न को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी तकनीक उन्हें मालूम है। जब ये लोग अन्न को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि आप विदेशों में भंडार बनाने की जो बात सोच रहे हैं, ऐसे में वहां अनाज को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? राज्य सरकारों के जो खाद्य भंडार निगम हैं, कोल्डस्टोरेज हैं, वे भी आज चल नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी कोल्ड स्टोरेज सफल नहीं हुआ है। वे सब घाटे में चल रहे हैं। वहां पूरा का पूरा आलू सड़ रहा है। देवेन्द्र प्रसाद यादव जी जो इसकी स्थाई समिति के चेयरमैन हैं, उनका भी बयान आया है कि लाखों टन गेहूं बाहर सड़ रहा है। मैंने इलाहाबाद के बारे में भी अखबारों में पढ़ा है कि वहां गेहूं सड़ रहा है। आप अन्न को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो राज्यों में इनका क्या हाल होगा?

गांव का किसान हज़ारों सालों से अपना गेहूं और चावल छोटे-छोटे भंडारण बनाकर भूसे में डालकर रख रहा है जिससे वह सुरक्षित रहता है। मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं कि जब उनका गेहूं और चावल ही सुरक्षित नहीं है तब किसानों का भंडारण कैसे सुरक्षित रख पायेंगे? आज भारत को आजाद हुये 54 साल हो गये हैं। तब से लेकर आज तक किसानों को कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई गई है? हमने जो गेहूं बोया है, एम.पी. बनने के बाद भी मैं उसे भूसे में रख रहा हूं। आप गांव-गांव सर्वे कराकर किसानों से पूछिये कि वे अपना अन्न कैसे सुरक्षित रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों का 25 प्रतिशत गेहूं खरीद पा रही है जबकि 70-75 प्रतिशत किसान अपना अन्न भूसे में रखकर सुरक्षित कर रहे है। अभी बताया गया कि सरकार विदेशों में गेहूं के भंडारण बनाने जा रही है लेकिन सरकार को ग्रामसभाओं में अधिकारियों को भेजकर वहां अन्न को सुरक्षित ढंग से रखने की व्य वस्था करनी चाहिये। इस सबंध में किसानों को शिक्षित या जागरूक करने के लिये कोशिश की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एफ.सी.आई. के गोदामों में अनाज सड़ रहा है। अनाज के सड़ने की जिम्मेदारी जिन पर है, उनको सजा दिये जाने का प्रावधान होना चाहिये। हमें जानकारी मिली है कि एफ.सी.आई. के जितने गोदाम हैं, उनके स्टाक में कमी पाई गई है। वहां से चोरी से गेहूं बेचा गया, इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं, यह सदन को बताया जाये। चूंकि इन सब पर केन्द्र सरकार का कंट्रोल है, इसलिये कार्यवाही होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष जी, यह बड़े ही सौभाग्य का विाय है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विभाग को एक योग्य व्यक्ति को सौंपा है। पिछले 50 साल के शासन के दौरान की गई त्रुटियों में सुधार लाने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष जी, कृाि क्षेत्र के सेवा क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिये माननीय मंत्री जी यह संशोधन लेकर उपस्थित हुये हैं। आज उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में सन् 1962 के अधिनियम में इस प्रकार का संशोधन आवश्यक था। मैंने विस्तार से इस संशोधन को देखा तथा पढ़ा है और समझने का प्रयास किया है।

उपाध्यक्ष जी, अभी तक किसानों और व्यापारियों का जो माल विदेशों में भेजा जाता है, वह विदेशों में विदेशी गोदामों रखा जाता है जिसका किराया मनमाने ढंग से लिया जाता है। यह माल चाहे सरकार का हो, किसानों का हो या व्यापारियों का हो, उसे हम दूसरे देश के भंडागारणों में रखते है। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि सरकार विदेशों में अपने भंडारण बनायेगी जिसमें किसानों, व्यापारियों और इस देश की सरकार द्वारा भेजी गई सामग्री रखने की सुाि वधा होगी।

16.00 hrs.

उसकी दर कम होने के कारण यहां का व्यवसाय और यहां का निर्यात बढ़ेगा। मैं इसी के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने यह भी विचार किया कि देश के अंदर और विदेशों में इस प्रकार के भंडारों के निर्माण के लिए धनराशि की समस्या आड़े न आए, इस नाते जॉइंट वेन्चर के आधार पर काम करने का भी विचार किया है जो इस अधिनियम के अंतर्गत है। इस जॉइंट वेन्चर के माध्यम से देश और विदेशों में इस तरह का काम होने के कारण किसानों का बहुत बड़ा हित होगा।

हमारे पूर्व के माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज हमारे देश में भंडारण की जो क्षमता है, वह इतनी कम है कि खुले आकाश में भी अनाज रखना पड़ रहा है। उस क्षमता को बढ़ाने का काम शासन को करना चाहिए। देश में बेकारी की समस्या को हल करने के लिए भी 15 अगस्त को हमारे प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से जो घोाणा की कि काम के बदले अनाज दिया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि एक पत्रकार आज हमसे पूछने के लिए चले आए और उन्होंने कहा कि पाँच किलो अनाज की बात प्रधान मंत्री ने कही है। पाँच किलो अनाज का मूल्य 20 रुपया कहा है - काम के बदले पाँच किलो अनाज अथवा 20 रुपया उनको दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। पाँच किलो अनाज का मूल्य 20 रुपया हुआ तो सभी प्रदेशों की न्यूनतम मजदूरी में से वह 20 रुपये काटकर शेा पैसा मजदूरों को अलग से दिया जाएगा, केवल पाँच किलो अनाज पर काम देने की बात नहीं है। इस नाते से यह जो संदेश देश में गलत रूप से दिया जा रहा है, उसका निराकरण भी शासन द्वारा आवश्यक है।

एफ.सी.आई. की व्यवस्था के लिए मंत्री महोदय ने इस विभाग में जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की, प्रत्येक प्रदेश में सलाहकार समितियां बनाईं, उसका चेयरमैन संसद सदस्सों को बनाया जिससे एफ.सी.आई. की व्यवस्था ठीक हो सके, उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। अभी-अभी उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनके अनाज को दुगना किया है। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं में से अभी उन्होंने जो प्रदेशों में सलाहकार समितियां बनाई हैं और संसद सदस्यों को चेयरमैन नियुक्त किया है, उस समति को वे और अधिकार देने जा रहे हैं और कुछ दिये भी हैं। उसके द्वारा जो वितरण की व्यवस्था है या जो भंडारण की व्यवस्था है, इसकी चैकिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय और इनके विभाग ने जो काम किया है, इसके लिए भी वे धन्यवाद के पात्र हैं। इन सब बातों के अलावा भी मैं कहना चाहता हूं कि आज समस्याएं हैं। देश में भंडारण की कमी है। अनाज का उत्पादन किसानों ने इतना किया है कि किसानों को जितना धन्यवाद और साधु वाद दिया जाए उतना कम है। यह देश जब विभाजित हुआ था तब 33 करोड़ की आबादी वाले देश को खिलाने के लिए इस देश में अनाज नहीं था। विदेशों से अनाज आता था और राशन की दुकानों पर हमारे जैसे व्यक्ति जो आज इस पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, छोटी उम्र के होते हुए भी लाइन में गेहूं लेने के लिए खड़े होते थे। आज इस देश के किसानों ने एक अरब लोगों को खिलाने से अधिक अनाज पैदा कर दिया। इतना अनाज पैदा कर दिया कि भंडार भर गए, खुले आकाश में रखना पड़ रहा है। मैं किसानों को साधुवाद देता हूं और मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस अनाज का ठीक से भंडारण करने के लिए और भंडार निर्माण करने की आवश्यकता है। प्रादेशिक सरकारों के भंडारण में प्रबंधन की दृटि से और अधिकार इस विभाग और केन्द्र सरकार को मिलने चाहिए। इस सदन के द्वारा बार-बार यह बात उठाई जाती है कि आप अनाज देते हैं, आप भंडार की सुविधा देते हैं लेकिन वहां पर आपका नियंत्रण क्या है।

अगर कोई प्रदेश सरकार उस अनाज को नहीं उठाती, उसका वितरण नहीं करती, तो आपका क्या नियंत्रण है, आपकी चैकिंग क्या है? इस विधेयक के अन्तर्गत, इस तरह के नियंत्रण के लिए, निगमों में अध्यक्ष पद और अधिकारियों की नियुक्ति, मैम्बरों की नियुक्ति का अधिकार सैंट्रल गवर्नमैंट द्वारा लेना और उसका प्रबंधन ठीक करने का जो काम इस शासन ने किया है, मैं उसके लिए मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Mr. Deputy-Speaker Sir, this Bill concentrates mainly on having branches abroad and also on giving more powers to the State Warehousing Corporations and relinquishing certain powers of the Central Authority. But it worries us very much to see the poor management of the Corporations. When it is poorly managed, how can the State Corporations be given more powers which will be worsening the management situation further more?

I have been told that even the Chairman of the Central Warehousing Corporation is not appointed. The FCI Chairman is its acting Chairman. In the same way, the post of Managing Director is vacant, the post of Director (Personnel) is vacant and the post of Director (Technical) is vacant. Every important post is lying vacant. The third and fourth level officers are appointed as acting officers in those posts. In this situation, I would like to draw the attention of the hon. Minister to a letter by Shri J.V. Bendre, Personnel Manager to the Commissioner (Temples)-cum-Deputy Commissioner, Kangra District. This letter is dated 10th July, 2001. I have been told that this is the constituency of the hon. Minister. This letter conveys that Rs.15 lakhs is given, by way of a cheque, from the funds of the Central Warehousing Corporation for a project relating to the construction of *Sulab Suvidha Kendra* at Chamundi Devi Temple. An amount of Rs.34.55 lakhs is promised to be paid. If it is true, then why don't they give some money to my constituency which is poor and backward? There are many people suffering there due to blindness. There are handicapped persons and mentally-retarded persons. We can utilise Rs.34.55 lakhs for the welfare of poor people. How and under what authority has the Central Warehousing Corporation given this money? This is not the only case. I have got a bunch of complaints. There are about Rs.14 crore which have been wasted in the State Warehousing Corporations and the Central Warehousing Corporation. A lot of complaints have been made, but no complaint has been looked into and no criminal action has been taken against the Regional Managers. The Regional Manager who has been complained of, who has misappropriated Rs.14 crore, has been

promoted to a better place to get more money. If this is the situation, how can the Bill give more powers to the State Warehousing Corporations? It says that the Board of Directors shall consist of five members from the Central Warehousing Corporation and five members from the State Warehousing Corporations. They can be removed even without the permission or without the previous approval of the Central Warehousing Corporation. If such is the case, then how will there be good management? The new wording given here is "under intimation to". You can remove them and intimate it to the Board of the Central Warehousing Corporation.

16.10 hrs. (Dr. Laxminarayan Pandeya *in the Chair*)

If the Board itself work like this, when there are so many complaints at the Central level, how will the State Warehousing Corporation function? The same kind of amendment will be applicable for the removal of Directors also. Earlier, for acquiring and building godowns, previous approval was needed. But now it has been removed. All that they have to do is just to give an intimation. The words `with the previous approval' have been replaced by the words `under intimation to'. This delegation of power or relinquishing of power is too much, especially when the Corporation's management is not effective. I feel that this kind of bringing in amendments on *ad hoc* basis to give more powers to the State Corporations which are already swallowing money, will not serve any purpose. If you give them more powers, then there will not be any warehouses, there will be only buildings. I have got with me many complaints and allegations against the Corporations. I will just read only one portion of them. In one of the allegations, it is said:

> "It was detected by them that the original imported stocks worth Rs. 14 crore was replaced by obsolete materials in these pockets/cartons/crates, pertain to about 17 bonds. "

When they are replacing the entire material by obsolete materials, how can they run well? Powers are given for the appointment of officers. What is the purpose of having officers, when they are not disciplined and when they are not controlled properly by regulations? Will not the poor people, who are dependent on these warehouses, who think that their materials would be kept safe and that they can use them at proper time suffer? I would request the hon. Minister to have a second thought about it. I would also request the Minister that there should be strict supervision.

I hope the hon. Minister will also promise that funds will be provided to our constituencies, just like an amount of Rs. 34.55 lakh was provided for the Minister's constituency.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, सैण्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, 1962 में चार तरह के संशोधन लाने का सरकार ने प्रस्ताव किया है। चारों संशोधनों में से ये दो संशोधनों में वेयरहाउसिंग को सशक्त बना रहे हैं। तीसरे संशोधन से राज्य सरकार को सशक्त बना रहे हैं और चौथे संशोधन से स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को सशक्त बना रहे हैं। संशोधन नम्बर एक में इनका कहना है कि भारत के अलावा विदेश में भी अब हम भण्डारीकरण करेंगे और गोदाम बनाएंगे। श्री शंकर प्रसाद जायसवाल जी चले गये, अन्य दिन वे भगवा गमछा लेकर आते थे, लेकिन आज ऐसे ही आये थे। वे बता रहे थे कि बड़ा भारी काम हो रहा है और बहुत धन्यवाद दे रहे थे।

हिन्दुस्तान के किसानों की क्या समस्याएं हैं, अनाज का भंडार या कृषि से उत्पादित जो सामान है, उसको रखने में किसानों का क्या संकट है, वह किसान ही जानता है, उसको व्यापारी लोग क्या जानेंगे। 'जाके पैर ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीड़ पराई।' लगता है कि इससे देश में स्टोरेज की समस्या का समाधान हो गया। अब विदेशों में स्टोरेज करने के लिए ये कानून बना रहे हैं और कह रहे हैं कि विदेश में जब यहां का किसान सामान भेजता है तो उसका रखरखाव करना है। अब किसान के लिए क्या-क्या धोखाधड़ी हो रही है, देखिये -

जैसे किसान अनाज पैदा करता है और उसे एफ.सी.आई. प्रोक्योर करती है। एफ.सी.आई. की हालत क्या है, यह सभी को मालूम है। वहां अनाज रखने की जगह नहीं है। बाहर अनाज रख दिया जाए तो ज्यादा बर्बादी होती है और भीतर भी उसके रखरखाव की व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि 185 करोड़ रुपए का अनाज जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहा। अब वह समुद्र में फेंका जाए या कहां फेंका जाए, यह सरकार के लिए एक समस्या बनी हुई है। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन बना था कि एफ.सी.आई. जहां सक्षम न हो, वहां यह पहुंचे। कृषि से उत्पादित सामान का रखरखाव उसमें हो और फिर यह प्रावधान किया गया कि अन्य सामान भी उसमें रखा जा सके। सरकार कहती है कि उसमें कोल्ड स्टोरेज खोलने की क्षमता नहीं है इसलिए उसका निजीकरण करेंगे। इसके लिए किसानों को ऋण भी दिए जाएंगे। लेकिन समस्या जटिल हो रही है, उसका समाधान नहीं हो रहा है।

हिन्दुस्तान में किसी-किसी साल दो करोड़ चालीस लाख टन आलू पैदा हो जाता है। ये कहते हैं कि कम से कम पचास फीसदी का कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, नहीं तो किसान तबाह हो सकता है और आलू बर्बाद हो सकता है। देश में आलू, प्याज और अन्य फल-सब्जियां रखरखाव के बिना तकरीबन 20 प्रतिशत बर्बाद हो जाती हैं। यह सरकार किसानोन्मुखी नहीं, बल्कि व्यापारोन्मुखी है। सी.डब्ल्यू.सी. में उचित रखरखाव की व्यवस्था नहीं की गई है। कैसे निगम में आमद हो, इनको लगता है कि विदेश में गोदाम खोलने से ज्यादा आमद होगी, इस बात की इन्हें चिंता है। लेकिन हिन्दुस्तान के किसानों की समस्या जो भंडारण की है, उसका कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाए जाते। आज किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। जब काफी हंगामा इसको लेकर हुआ तो सरकार ने एक कमेटी बना दी कि कैसे कोल्ड स्टोरेज में किसान के उत्पादित माल को रखने के लिए उपबंध किया जाए। कमेटी ने रिपोर्ट दी कि 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए और किसान खुद कोल्ड स्टोरेज खोलने का प्रबंध करें। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपी जा रही है। कोल्ड स्टोरेज के बिना देश में हर साल किसानों को बहुत नुकसान होता है। जहां-जहां भी आलू, प्याज, फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, उसके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है।

ये विदेशों की बात करते हैं कि वहां खोलेंगे। उसके बाद कहते हैं कि स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन हैं, उनमें सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के अधिकारी नियुक्त करेंगे। यह भी अधिकार चाहते हैं कि राज्य सरकार को कुछ और अधिकार दिये जाएं, जैसे पहले सेंट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन से एप्रूवल लेनी होती थी, अब केवल सूचना देना ही पर्याप्त होगा।

उसी तरह से स्टेट वेयरहाउसिंग कौरपोरेशन को भी पहले से सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कौरपोरेशन से एप्रूवल लेकर करना था और उसमें कुछ छूट दे रहे हैं। स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को भी उनसे एप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल सूचना देने की आवश्यकता होगी।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसीलिए हमें लगता है कि कुएं में भांग घोली गई। जब सरकार और सब लोग भी उसी का समर्थन करते हैं और बधाई देते हैं और किसान का संकट और देश की समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है कि क्या संकट है और उसके लिए क्या समाधान होना चाहिए तो हमें बहुत दुख लगता है। यह प्रस्ताव हुआ था कि आलू के रखने के लिए सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन कोल्ड स्टोरेज खोलेगा लेकिन अभी तक नहीं खोले गये। अब क्यों नहीं खोले गये? कोल्ड स्टोरेज के अभाव में आलू सड़ रहा है या पुराने कोल्ड स्टोरेज बंद हो जाते हैं तो सरकार को इस बारे में प्रबन्ध करना चाहिए और सीडब्ल्यूसी सरकारी संस्थान है, उसके बारे में भी प्रबन्ध करना चाहिए। जहां-जहां अनाज रखने का प्रबन्ध नहीं है, वहां कोल्ड स्टोरेज सरकार को खोलने चाहिए। अपने देश की समस्या का समाधान पहले करना चाहिए तब विदेश में जाइए। अपने देश की भंडारण की समस्या का समाधान किये बिना विदेश में खोलने के लिए कानून बना रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। जब आप विदेश में खोलेंगे तो इस देश में उत्पादित सामान का क्या होगा और विदेश में किसान उत्पादित सामान कैसे जाएगा? â€¦ (व्यवधान) इतनी मेहनत करने के बाद किसान सामान उगाता है और अपनी पूंजी लगाता है और उस अनाज के भंडारण का कोई उपाय नहीं है और सरकार व्यापारिक दृटिकोण से िवदेश में खोलेगी तो उसको लाभ होगा और यहां खोलने से घाटा होगा, यह बेतुकी बात लगती है। किसानों की समस्या के प्रति सरकार सचेत क्यों नहीं है?

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब सरकार गिरने लगे या अल्पमत में होने लगे तब आप बचाने की कोशिश करिए क्योंकि आप उस पार्टी के लोग हैं लेकिन किसानों की असली समस्या तो उठाने दीजिए। वोट डालने के वक्त उधर वोट डाल दीजिए।â€¦ (व्यवधान) लेकिन किसान दुर्दशा में हैं और तबाही में है और उन्होंने कहा कि एक करोड़ दस लाख टन अनाज का उत्पादन पिछले साल से घट गया। हम जानना चाहते हैं कि क्यों घट गया? यहां अनाज रखने की जगह नहीं है, इसलिए प्रोक्योरमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को उनके उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इस कारण किसान निरुत्साहित हो रहा है। यदि किसानों को उनकी उपज का उचित समर्थन् मूल्य नहीं मिलेगा और रख-रखाव ठीक से नहीं होगा तो उसकी बर्बादी होगी, उसे घाटा होगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि :

'अब लौं नसानी, अब ना नसैहों।' अभी तक तो जो प्रबन्ध हुआ, सो हो गया, लेकिन आगे किसानों की समस्या का समाधान हो और उनके द्वारा उत्पादित सामान के रख-रखाव का प्रबन्ध सरकार करे और जब अपने देश की समस्या का हल हो जाये तो विदेश जाये और वहां जाकर अपना कारोबार बढ़ाये तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन यहां की समस्या का समाधान किये बिना विदेश में सब्जबाग दिखा रहे हैं कि हम विदेश में भी कानून बना रहे हैं कि भंडारण के उपाय करने जा रहे हैं तो मुझे यह बेतुकी बात लगती है। यह किसानोन्मुखी बात नहीं लगती, यह व्यापारोन्मुखी बात लगती है। इसीलिए सरकार को पहले किसान द्वारा उत्पादित अनाज के भंडारण की समस्या का हल करना चाहिए और सरकार बताए कि वह क्या करने जा रही है तब हम सहयोग करेंगे नहीं तो हम हर स्तर पर विरोध करेंगे।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Chairman, Sir, I agree with the intentions of this amending Bill. But when we go through the Bill, we will have to bear in mind certain important aspects of the Bill. Our aim is to make the Bill more flexible and also more beneficial to the farmers or, in other words, we are making an attempt to take the benefits of liberalisation to the small farmers. The benefits of liberalisation and globalisation are not reaching the poor people of India. We have the experience of the functioning of the depots of the Food Corporation of India. That is a glaring example. The depots of the Food Corporation of India are located throughout India, foodgrains are stored there in abundance, but what is the real situation in the country today?

16.26 hrs (Mr. Speaker *in the Chair*)

Sir, people have gone to the Supreme Court and filed a Public Interest Litigation stating that starvation deaths are taking place in some of the States in India. The Supreme Court heard the matter elaborately and they gave a direction to the Central Government to see that the Public Distribution System is strengthened in those States where starvation deaths have taken place.

So, in a land of plenty, we have the bitter lesson of poverty and starvation. Everyday, when we open our television set, we see that people are dying due to starvation in many States. At the same time, we have plenty of foodgrains in our godowns, but they are being wasted. Even foreign countries are reluctant to take our foodgrains. When our foodgrains were exported to Iraq, they refused to take them because they were substandard in quality. That was our bitter experience. So, when we amend this Bill, we should keep all these things in mind. Now, the territorial jurisdiction of the Warehousing Corporation is being extended through this Bill. Previously, it was having its jurisdiction only within India. Now, it will have international jurisdiction. It can even enter into a Memorandum of Understanding with foreign companies as well and they are also empowered to enter into a Memorandum of Understanding with subsidiary companies, which are registered under a State statute or a Central statute. So, ample powers are being given to the Warehousing Corporation to enter into business transaction with anybody. The only condition is that it must be done under intimation to the Central Government. Previously, prior sanction of the Central Government was essential. Now, prior sanction is not required, but only under intimation to the Central Government, the Corporation is empowered to enter into business transaction or a Memorandum of Understanding with even subsidiary companies.

So, what will be the poor farmer's condition now? In India, the most important problem being faced by our farmers is rotting of perishable food articles. When we have mango season, more than 50 per cent of mangoes get rotten due to non-availability of proper storage facilities and similar is the case with oranges and apples. So, if we could

prevent this catastrophe, definitely it will result in huge profits to the poor farmers who are producing these perishable items.

Sir, when we think of extending the jurisdiction of the Warehousing Corporation, we should bear in mind that there are lakhs of poor farmers in India, who want direct help from the Warehousing Corporation. I think, the hon. Minister is dealing with both the Food Corporation of India as well as the Warehousing Corporation. We have the bitter experience of the Food Corporation of India before us. I would request the Minister to see that the same mistake is not repeated in the functioning of the Warehousing Corporation. So, I think, as an abundant caution, the Government will take all the preventive steps required to help the farmers in storing the perishable goods that they produce.

That will be a boon to him. So, when you think of extending the jurisdiction of the Warehousing Corporation of India, I request the hon. Minister to always keep in mind the difficulties faced by lakhs of poor farmers throughout the country. With these words, I conclude.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत छोटा है, लेकिन इस पर जो बहस हो रही है उसमें पूरी दुनिया की चीजें चली आई हैं। माफ करेंगे यह बिल पटरी के बाहर चला गया है। अद्भुत बहस इस पर हो गई है। हमने ऐसी बहस पहले नहीं देखी। इसमें यह है कि वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अमेंडमेंट बिल सन् 2001 के अधिनियम में बदल जाने के बाद सीडब्ल्यूसी अपने वेयर हाउसेस को विदेशों में भी बना सके, चूंकि अभी वेयर हाउसेस खोलने की विदेशों में परमीशन नहीं है। सरकार चाहती है कि हमें परमीशन मिल जाए ताकि विदेशों में भी हम सीडब्ल्यूसी के वेयर हाउसेस खोल सकें। इसमें पूरी दुनिया भर की एफसीआई पर बहस हो गई है। रघुबंश बाबू शुरू में पटरी पर थे, लेकिन बाद में इनका भााण पोलिटिकल हो गया।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि विदेशों में भी वेयर हाउसेस को खोले जाएं, इसके लिए सरकार परमीशन चाहती है। इस संबंध में मेरा कहना है कि जो आर्थिक उदारीकरण की नीति है, अभी इसमें सीडब्ल्यूसी का वेयर हाउसेस बिज़नेस पर एकाधिकार समाप्त हो गया है। यह 1996-97 में करीब 84 करोड़ रुपए प्रोफिट दे रही थी, जो 1998-99 में घट कर 41.50 करोड़ रुपए हो गया और सन् 2000-2001 में थोड़ा सा बढ़ा है। मतलब जो घट गया था, साढ़े 41 करोड़ रुपए हो गया था वह 2001 में थोड़ा सा बढ़ कर 58 करोड़ रुपए हो गया। इस बिज़नेस में सीडब्ल्यूसी को, अन्य अंडरटैकिंग्स और जितने प्राईवेट आर्गनाइजेशंस हैं उनसे काफी कम्पीटिशन करना पड़ रहा है। जब सीडब्ल्यूसी देश में बड़ी मुश्किल से कंपीट कर पा रही है तो मेरी राय में क्या विदेशों में कम्पीट कर पाएगी, यह अंडर क्वैश्चन है, अंडर ब्रेकिट है। इसलिए इसे हम यहीं छोड़ देते हैं।

महोदय, जब यह बिल आया है तो हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि किन-किन जगहों को विदेशों में आइडेंटिफाई किया गया है, जहां सीडब्ल्यूसी वेयर हाउसेस खोलना लाभकारी हो सकता है, क्या इसका कोई आइडेंटीफिकेशन हुआ है। सरकार ने कोई ऐसा एनेलैसिस या असेस्मेंट किया है। क्या सीडब्ल्यूसी द्वारा विदेशों में वेयर हाउसेस खोलने का सही समय, उपयुक्त समय है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी में हायर लेवल पर पिछले दिनों काफी इर्रेगुलेरिटी हुई है। 1996-97 से पहले भी हुई थीं। उन इर्रेगुरेरिटीज़ के कारण वहां जो एमडी थे, प्रबंध निदेशक और प्रबंधक थे, उनके खिलाफ सीबीआई का इनवेस्टीगेशन चल रहा है। जो फाइनेंशियल इर्रेगुलेरिटीज़ हुई हैं, वे अभी चल रही है। कई तरह की ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए हम इसे यहीं छोड़ रहे हैं।

हम इस बिल में केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि परमिशन दी जाए, लेकिन एक आशंका है कि जब यह बिल अधिनियमित, पारित हो जाएगा तो उसके पश्चात् सीडब्ल्यूसी, जो लाभकारी निगम है, यह घाटे वाला न बन जाए। इसी आशंका के समाधान के लिए हमने इस बिल के संबंध में जिक्र किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष जी, माननीय शांता कुमार भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक जो लाए हैं, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन विधेयक छोटा है और इसके द्वारा सरकार विदेशों में गोदाम बनाकर अपना व्यापार बढ़ाना चाहती है। भारत सरकार विदेशों में भंडारण की व्यवस्था करे, व्यापार करे, यह हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन यह व्यापार घाटे का न हो, इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्मय से मंत्री महोदय से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप विदेशों में भंडारण कीजिए, व्यापार कीजिए लेकिन पहले अपने यहां भी तो भंडारण का सोचिये। यह विाय से हटकर बात है लेकिन मैं एक छोटे से क्षेत्र से आता हूं और इसीलिए मंत्री महोदय से विनती करना चाहता हूं कि जिलास्तर पर कम से कम एक वेयर-हाउस कोरपोरेशन का गोदाम होना चाहिए, उसकी यह नीति होनी चाहिए कि हर जिले में एक उसका गोदाम हो - यह मेरा सुझाव है।

किसान की सब्जियों, फलों, गेहूं, चावल और उसके अनाज को वार्ा और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए जिलास्तर पर कम से कम एक वेयर-हाउस का गोदाम बनाने की अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (CALCUTTA NORTH WEST): Sir, while supporting the Bill, I hereby place a few suggestions, observations and a few cautions to the hon. Minister.

I still remember that the Chairman of Standing Committee on Food, Shri Devendra Prasad Yadav, held a Press Conference after submitting the report stating that the production in the country was huge. But for lack of infrastructure, we recommended that these food products thrown into the ocean. In a country like India where poor people are fighting for their survival, and deaths are occurring due to starvation, we have to do this. But still we have become worried, when a report is submitted, on the floor of the Parliament that due to lack of infrastructural set up, due to lack of required number of cold storages, due to lack of infrastructure for warehouses, we have to face such types of problems.

There was also a proposal from the Government of Iraq to sell oil to us in exchange of foodgrains. This is in an opportunity when we can possibly inquire from the Government of India or from the hon. Minister whether such types of proposals, which are very much at the negotiating stage, between the two countries are being considered or not.

Sir, I remember that a few years back, in the State of West Bengal, large quantities of potatoes were produced but the farmers had to make distress sale and they had to sell potatoes at the rate of one rupee per kilogram because there was infrastructure and enough number of cold storages were not available. A positive decision is to be adopted by the Government of India and it should announce cold storage as a positive industry. Otherwise, the produce which are being produced by the farmers would be totally destroyed due to lack of infrastructure and for not having succeeded to keep them at the proper shed.

Clause 2(a) of the Bill says: "In clause (a), after the words "in India", the words "or abroad" shall be inserted." We feel that by this we are opening the total market to the outsiders. Where we are lacking in infrastructure, where we are lacking in proper cold storage, where the functioning of the Food Corporation of India is not above question - as Shri Devendra Prasad Yadav has said and I fully share his sentiments and anxieties - is to be positively and categorically clarified.

We always look into it positively that the peasants or the poor farmers are not being compelled to proceed for distress sale of their produce and see how we can protect their produce. Even we have seen in the newspapers that for want of such facilities, they have committed suicide also.

Though this is a very small Bill in nature, which has been introduced here, its area of discussion can take a huge shape. So, Sir, I believe that the Government should be cautious enough and throw a light as to how the interest of the farmers and also the common peasants are protected, and insertion of the words "or abroad" after the words "in India" in clause 2(a) would not hamper the interests of the country anymore. Otherwise, I support this Bill.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा में भाग लेने वाले तमाम सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस अमैंडमैंट में मुख्य रूप से चार बातें हैं - पहली बात यह कि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन आज की स्थिति में, विदेश में कहीं पर अपना काम नहीं कर सकता। दुनिया बदल गई, दुनिया बदल रही है, दुनिया गांव बन गई। अब सब प्रकार के रेस्टिक्शन्स हट गए। दुनिया भर की कम्पनियां प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर भारत में आ रहे हैं। हम जहां जा सकते हैं क्यों न जाएं और जहां कर सकते हैं, क्यों न करें? सिद्धांत रूप में हमारे देश के लोगों को भी चाहे वह निजी क्षेत्र हो या पब्लिक सैक्टर हो, उसे विदेशों में जाना होगा, कम्पीट करना होगा। आने वाला युग कूपमंडूप बन कर रहने का नहीं, आने वाला युग खुली प्रतियोगिता में शामिल होने का है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से कहा कि वह पनामा और ब्राजील में अपने वेयर हाउस बनाए। नेपाल ने ग्लोबल बीड की थी। हमने पार्टिसिपेट किया। उसमें हम शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। सम्भावना बढ़ रही है कि विदेशों में हम अपना काम बढ़ाएं। उस दृटि से हम यह संशोधन चाहते हैं कि इस कारपोरेशन को विदेशों में भी अपना काम करने का अधिकार मिले।

अध्यक्ष महोदय, दूसरे, आज कारपोरेशन जाइंट वैंचर में नहीं जा सकता है। अब सब कुछ बदल रहा है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि भारत सरकार ने एक नेशनल स्टोरेज पालिसी बनाई है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर आयेगा। जैसा कि सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है, हम स्टोरेज की 30 लाख टन की नई कैपेसिटी बनाना चाहते हैं। इसलिये कारपोरेशन को यह अधिकार दिया जा रहा है कि जाइंट वैंचर में जाकर इस प्रकार की नई कैपेसिटी क्रिएट करने की कोशिश करे।

तीसरा, प्रदेशों के अंदर जितने वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स बने हुये हैं, उनमें 50 प्रतिशत धन केन्द्र सरकार का है और 50 प्रतिशत सदस्य केन्द्र द्वारा नामिनेट किये जाते हैं लेकिन सैंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स को सदस्य नामिनेट करने की मनाही है लेकिन इस विधेयक में संशोधन के द्वारा उसे दूर कर रहे हैं। जब 50 प्रतिशत इंटरैस्ट वहां का है तो उनके अधिकारियों को नामिनेशन का अधिकार होना चाहिये।

चौथा, राज्य के जितने निगम हैं, उन पर यह बाध्यता है कि यदि सैक्शन 22, 24 के अंतर्गत अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को नियुक्त करेंगे तो केन्द्र से उसकी पूर्व परमिशन लेनी होगी, उसे हम इस संशोधन के द्वारा समाप्त कर रहे हैं। डी-सैंट्रलाइजेशन ऑटोनोमी देने के लिये उन्हें केवल सूचना दें।

अध्यक्ष महोदय, श्री राधाकृणन् जी ने एक मामला यह उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है जिसमें उसने केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वे बहुत जल्दी ही राज्यों में राशन की दुकानें खोलें। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई निर्देश भारत सरकार को नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यहां इस बात का उल्लेख किया गया कि अनाज को समुद्र में फेंका जा रहा है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे पास 512 लाख टन अनाज रखने की कैपेसिटी है जबकि हम 616 लाख टन अनाज रख रहे हैं। यह कहा जाना कि सारा अनाज सड़ रहा है, यह बात बिलकुल गलत है। जो गेहूं 2-3 साल पुराना सड़ा हुआ होता है, उसे निकाल दिया जाता है। जहां तक फीड केटेगरी अनाज की बात कही गई है, वह हमने सूखाग्रस्त प्रदेश में बिलकुल मुफ्त देने की बात की है। बहुस सा उठ गया है और बाकी उठाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यहां इस बात को कहा गया कि इसमें लाभ कम हुआ। पहले इसका लाभ 84 करोड़ रुपये था, वह धीरे-धीरे कम हुआ लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि जब उदारीकरण और वैश्वीकरण की बात आई तो इसकी मोनोपोली खत्म करने के लिये उसमें प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर आये। इस बीच में एक स्थिति ऐसी आई कि हमारा लाभ कम हुआ और अब यह कारपोरेशन लाभ में आगे बढ़ रहा है। इस वर्ा इसका लाभ 73 करोड़ रुपया होने वाला है। मेरा इतना ही कहना है कि यह मिनी रत्न कारपोरेशन है और बढ़िया काम कर रहा है। इसका यूटिलाइजेशन 90 प्रतिशत के लगभग है।

अध्यक्ष महोदय, हम इन्ही चार बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और सदन से निवेदन करूंगा कि इन संशोधनों को पास करने की कृपा करें।

MR. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Warehousing Corporations Act, 1962, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

श्री शांता कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.